



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1497]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2008/कार्तिक 2, 1930

No. 1497]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2008/KARTIKA 2, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2008

का.आ. 2519(अ).—दिनांक 23 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1519(अ) का छः महीने की अवधि अर्थात् 31-3-2009 तक अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जी एम संसाधित खाद्यों के विनियम के सम्बन्ध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अगली अधिसूचना जारी किए जाने तक, जो पहले हो स्थगित किया जाता है।

[फा. सं. 13/16/2007-सीएस-III]

ए. के. गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : परिसंकटमय सूक्ष्मजीवों/आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भण्डारण नियमावली, 1989 को दिनांक 5 दिसम्बर, 1989 की सं. सा.का.नि. 1037(अ) जो दिनांक 13 सितम्बर, 1993 की सं. का.आ. 677(अ) की अधिसूचना के तहत अस्तित्व में आई और बाद में दिनांक 14 जुलाई, 2005 की सं. सा.का.नि. 493(अ) और दिनांक 20 सितम्बर, 2006 की सं. सा.का.नि. 616(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2007 की सं. का.आ. 1519(अ) और सं. का.आ. 411(अ), दिनांक 25-2-2008 की अधिसूचनाओं के तहत इसमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2008

S.O. 2519(E).—Notification No. S.O. 1519(E), dated 23-8-2007 is kept in abeyance for a further period of six months i.e. upto 31-3-2009 or until issue of further notification by the Ministry of Health and Family Welfare regarding regulation of GM processed foods by the Food Safety and Standards Authority, whichever is earlier.

[F.No. 13/16/2007-CS-III]

A. K. GOYAL, Jt. Secy.

Note : The Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous micro-organisms/Genetically engineered organisms or Cells Rules, 1989 were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 1037(E), dated the 5th December, 1989, which came into force vide notification S.O. 677(E), dated the 13th September, 1993, and subsequently were amended vide notification numbers G.S.R. 493(E), dated the 14th July, 2005, G.S.R. 616(E), dated the 20th September, 2006, S.O. 1519(E), dated 23-8-2007 and S.O. 411(E), dated 25-2-2008.